चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांकः परीक्षा/5414
दिनांकः 04-10-2021

विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालय परिसर में वार्षिक/सेमेस्टर प्रणाली में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी, जिनकी विश्वविद्यालय नियमानुसार उपाधि पूर्ण करने की अवधि समाप्त होने के उपरान्त अधिकतम 03 से 06 वर्ष कालबाधित हो चुके हैं। ऐसे विद्यार्थियों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 25.09.2021 की मद संख्या–2 में लिये गये संकल्प में विशेष परिस्थितियों में निर्णय लिया गया कि उक्त से सम्बन्धित 03 से 06 वर्ष कालबाधित विद्यार्थियों को अपनी उपाधि पूर्ण किये जाने का अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए अपने पूर्व पाठ्यक्रम/पैटर्न के अनुसार केवल आगामी होने वाली विशेष परीक्षा, अक्टूबर–2021 की परीक्षाओं के साथ रू0 10,000/- विलम्ब शुल्क प्रति परीक्षा फार्म भरकर परीक्षा में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त परीक्षा के पश्चात किसी भी बैक पेपर (Back Paper) अथवा भूतपूर्व छात्र (Ex. Student) परीक्षा हेतु अनुमति नहीं है।

04-10-2021

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/विभागाध्यक्ष/समन्वयक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि परीक्षा फार्म अग्रसारण में अर्हता का अच्छी तरह परीक्षण कर लिया जायें कि जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्र आवेदन कर रहा है, उसके लिए वह अर्ह है अथवा नहीं अन्यथा की स्थिति में परीक्षा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र एवं महाविद्यालय/संस्थान/विभाग का होगा।
02. सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।
03. वयैक्तिक सहायक, प्रति–कुलपति को प्रति–कुलपति जी के सूचनार्थ।
04. वयैक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी को, वित्त अधिकारी के सूचनार्थ।
05. वयैक्तिक सहायक, कुलसचिव को, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
06. वयैक्तिक सहायक, परीक्षा नियंत्रक को, परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ।
07. लेखाधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
08. सहा0 कुलसचिव/उप कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/लेखा)।
09. प्रभारी–कमैटी सेल/अति गोपनीय विभाग।
10. कार्यालय अधीक्षक (गोपनीय)।
11. समस्त प्रभारी/पटल सहायक–परीक्षा विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. प्रभारी–कम्प्यूटर केन्द्र/विश्वविद्यालय वेबसाईट।
13. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता।
14. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एजेन्सी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त निर्देशों तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत समस्त नियमों/अर्हता के अनुरूप ही **विशेष परीक्षा** हेतु परीक्षा फार्म भरवाया जाना सुनिश्चित करें।
15. सम्पादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त महत्वपूर्ण सूचना को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र के **सभी संस्करणों में विशेष स्थान देते हुए**, छात्र हित में, निशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
16. विश्वविद्यालय पूछताछ–केन्द्र/सूचना पट।
17. गार्ड फाईल–''अधिसूचना''।

04/10/21

सहा0 कुलसचिव (परीक्षा)